

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पटना

पत्रांक :- 164/अनु०

पटना/दिनांक : 25/01/2023

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, पटना

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता-सह-
राज्य गुणवत्ता समन्वयक
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, पटना।

विषय :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पैकेज सं०-BR-26R-047 NH-30 Masnadhpur में
गए ATR को Regrade करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयांकित पथ के संबंध में कहना है कि इस पथ का निर्माण कार्य दिनांक-02.09.2016 को पूर्ण हुआ है। संवेदक द्वारा पंचवर्षीय अनुरक्षण नहीं होने के कारण विभागीय ज्ञापांक-3761 दिनांक-14.09.2021 द्वारा विखंडन करते हुए संवेदक को 10 वर्षों के लिए काली सूची किया गया है, साथ ही साथ उक्त पथ को नई अनुरक्षण नीति-2018 में मरममति हेतु कार्रवाई की जा रही है।

अतएवं उक्त पैकेज सं०-BR-26R-047 का ATR Regrad करने की कृपा की जाय।

अनु०.यथोक्त।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पटना

FORMET-III
PRADHANMANTRI GRAM SADAK YOJNA
Action taken statement of the pending Report of NQM of the District-

Name of the NQM:- Doddihal Capt. R.R.

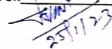
Date of Inspection :-

S. No.	Name of the Block	Name of Road	S. No. of Para	Paragraph of Report on which action Required	Para-wise Action Taken	Whether Action is complete	If "No." in col. 6 specify the date when the action will be	Remarks/Verification of
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Danigawan	NH-30 Masnadhpur (BR-26R-047)	1	Maintenance of road in respect to Restoration of rain cuts and Cutting of branches of trees, shrubs and trimming of grass and weeds etc	इस पथ का निरीक्षण कार्य दिनांक-02.09.2016 को पूर्ण हुआ है। सर्वेक्षक द्वारा पंचवर्षीय अनुसूचन नहीं होने के कारण विभागीय धारांक-5761, दिनांक-14.09.2021 द्वारा एकत्रितनामा को विवरण करने हुए सर्वेक्षक को 10 वर्षों के लिए काली चूकी किया गया है साथ ही साथ उक्त पथ को नई अनुसूचन नीति-2018 में मरम्मत हेतु कार्यवाई की जा रही है।	Yes		
			2	Making up of Earthern Shoulders		Yes		
			3	Condition of Pavement including filling pot holes and patch repairs etc		Yes		
			4	Maintenance of road signs and White washing guard stones, Re-fixing displaced guard stones, White washing parapets of C.D. Work		Yes		
			5	Maintenance of guard rails and parapet rails, Maintenance of 200 m and Kilo Meter stones		Yes		

All the defects observed by SQM have been rectified by the contractor and Checked by me

Observation of SQM complied with and rectified by the contractor and the same has been verified by me on


 Executive Engineer
 R.W.D., Works Division
 Patna


 अजीत सिंह
 ज्योतिष एवं विधान, कार्य प्रबंध
 पटना

**अभियंता प्रमुख का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।
सकारण आदेश**



संवेदक, Sushil Kumar Choubey, निबंधन संख्या-1333/2008 को कार्य प्रमंडल, पटना के अंगीन योजना शीर्ष PMGSY अंतर्गत NH-30 to Masnadhapur Road, (Package No.-BR-26R-047) का कार्य आवंटित था, जिसका एकरारनामा संख्या 152/SIBD/2009-10 है। एकरारनामा के अनुसार निर्माण कार्य प्रारंभ की तिथि 23.09.2009 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 22.09.2010 है। उक्त पथ का निर्माण कार्य दिनांक 27.02.2017 को पूर्ण किया गया तथा पहले वर्षे अनुरक्षण का कार्य 15.06.2018 को किया गया। इसके उपरान्त संवेदक द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया।

उक्त पथ का अनुरक्षण कार्य संवेदक की उत्तरीयता के कारण सरासरी नहीं हो पाया। अनुरक्षण कार्य को करने हेतु कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, पटना द्वारा अपने पत्रांक 1675 दिनांक 26.10.2019 एवं पत्रांक 73 दिनांक 13.01.2020 द्वारा नोटिस निर्गत कर अनुरक्षण कार्य करने एवं ATR का निराकरण करवाने का निदेश दिया गया। नोटिस निर्गत करने के बावजूद संवेदक द्वारा कार्य करने की दिशा में कोई रुकी नहीं दिया गया। अतः कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, पटना द्वारा S.B.D. की कंडिका 53.1 के तहत कार्रवाई करते हुए अपने ज्ञापांक 1899 दिनांक 30.12.2020 द्वारा उक्त विषयगत कार्य के एकरारनामा को S.B.D. के सम्यक कंडिकाओं के उपधाराओं 52.2(a), (c) एवं 52.3 के आलोक में विखंडित किया गया तथा संवेदक को काली सूची में दर्ज करने की अनुशंसा की गयी।

क्षेत्रीय अभियंताओं से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 3522 दिनांक 23.08.2021 द्वारा कारण पृच्छा की गई तथा सात (07) दिनों के अंदर संवेदक को स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। संवेदक द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि अनुरक्षण कार्य में कर देगा। अभी रोड पर पानी चढ़ा है। आवागमन ठप है। कोरोनाकाल एवं वर्षा के कारण पथ के अनुरक्षण कार्य में विलंब होना बताया गया है। संवेदक का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है। विभागीय समीक्षोपरान्त संवेदक, Sushil Kumar Choubey, निबंधन संख्या-1333/2008 को विभागीय कालीसूची में डालने का निर्णय लिया गया।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार टीकेदारी निबंधन नियमावली (ग्रामीण कार्य विभाग) 2007, अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 के कंडिका 11(क)(vi) तथा पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय आदेश संख्या-154, दिनांक 18.06.2015 की कंडिका-8(1)(a) एवं (c) (एकरारनामा विखंडन किये जाने के कारण) में उल्लेखित प्रावधानों के आलोक में संवेदक, Sushil Kumar Choubey, F-157, P.C.Colony, Kankarbagh, Patna-20, निबंधन संख्या-1333/2008 को अगले 10 वर्षों के लिए Blacklist किया जाता है।

(अशोक कुमार मिश्रा)

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-मु०अ०-4(मु०) कालीसूची 34-91/2021- 3761 /पटना, दिनांक -14/9/2021
प्रतिलिपि:- संवेदक, Sushil Kumar Choubey, F-157, P.C.Colony, Kankarbagh, Patna-20, निबंधन संख्या-1333/2008 को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- मु०अ०-4(मु०) कालीसूची 34-91/2021- 3761

अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक -14/9/2021

प्रतिलिपि:-सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी(मु०), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, पटना।

पत्रांक:- मु०अ०-4(मु०) काली सूची-34-91/2021 - 3522

/पटना, दिनांक-23/8/2021

प्रेषक,

अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख।

सेवा में,

Sushil Kumar Choubey,
(निबंधन संख्या-1333/2008)
F-157, P.C.Colony,
Kankarbagh, Patna



विषय:- कार्य प्रमंडल, पटना के अधीन PMGSY के तहत आवंटित कार्य "NH-30 to Masnadhpur Road" का अनुरक्षण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं करने/लंबित रखने के लिए कालीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि, आपके द्वारा कार्य प्रमंडल, पटना के अधीन PMGSY के तहत आवंटित कार्य "NH-30 to Masnadhpur Road, (Package No.-BR-26R-047)" का अनुरक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है। जिसके कारण एकरारनामा दिखंडन के पश्चात् क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा आपके निबंधन को काली सूची में दर्ज करने की अनुशंसा की गयी है।

इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण सात (07) दिनों के अंदर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा विभाग आपके विरुद्ध एकतरफा कार्रवाई हेतु स्वतंत्र होगा।

विश्वासभाजन

(अशोक कुमार मिश्रा)

अभियंता प्रमुख

पत्रांक:- मु०अ०-4(मु०) काली सूची-34-91/2021 - 3522

पटना, दिनांक - 31/8/2021

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना ।

पत्रांक1438(2730)...../पटना, दिनांक 12/08/2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पटना ।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, पटना।

विषय :- कार्य प्रमंडल, पटना अंतर्गत पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं करने वाले संबंधित संवेदक के निबंधन को काली सूची में डालने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इस प्रमंडल अंतर्गत पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं करने वाले संवेदकों को काली सूची में डालने हेतु अनुशंसा विहित प्रपत्र में वांछित कागजातों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर समर्पित की जा रही है।

अनु0:- 01 संवेदक की अनुशंसा का विहित
प्रपत्र मूल में ।

विश्वासभीजन

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना।

12/8/21

12/8/21

संवेदक को काली सूची में दर्ज करने हेतु आवश्यक प्रपत्र

एन. 30 की मसलनदफ्तर पर शीर्ष:- पी.एम.जी.एल.वार्ड

कार्य प्रगति पत्र

प्रखंड:- दणियावा

संवेदक को काली सूची में दर्ज करने हेतु
आवश्यक जाँच सूची

गली सूची में दर्ज करने की अनुशंसा का कारण

पंचवार्षिक अनुसूचन कार्य नहीं
करने के कारण

वेदक का नाम, एकरारनामा में प्रयुक्त निबंधन
रिखा/अद्यतन निबंधन संख्या एवं पत्राचार का
ता, ई-मेल/मोबाईल नं०-

श्री सुशील कुमार जी
निबंधन संख्या - 1333/08
एफ-157, पी. सी. कॉमनी
कंबुडवाग, पटना

करारनामा की सत्यापित छाया प्रति (एकरारनामा
शि, कार्य प्रारंभ एवं कार्य समाप्ति की तिथि)

एकरारनामा की सत्यापित छाया प्रति संलग्न/
एकरारनामा काही - 51,54,220-00
कार्य प्रारंभ - 23.09.2009
कार्य समाप्ति - 22.09.2010

करारनामा विखंडन कार्रवाई (सकारण आदेश)
ग पत्र की सत्यापित छाया प्रति एवं पूर्व में दी
ई अन्य नोटिश की छाया प्रति। एकरारनामा के
कंस कडिका के तहत विखंडन की कार्रवाई की
ई है, का स्पष्ट उल्लेख करें।

सकारण आदेश पत्र की सत्यापित छाया प्रति
संलग्न। एल.बी.टी. की कंडिशन
52.2(a), (c) एवं 52.3 के अंतर्गत
विखंडन की कार्रवाई की गई।

तिथियों की जल्दी से संबंधित पत्र की
सत्यापित छाया प्रति।

EE

31/08/2010

SE

CE

3E, SE & CE की स्पष्ट अनुशंसा (केवल
अग्रसारण पत्र, मान्य नहीं है।)

या विखंडन के बाद संवेदक द्वारा कहीं बाद या
म्पील दायर किया गया है? अगर उत्तर हाँ है तो
द्यतन स्थिति क्या है?

क्राई प्रगति के पत्रांक - 1857 दि. 6/8/21
के तहत Empowered Standing
Committee में सुझाव, ई. 1/1 दिनांक-10/8/21
जिले काली सूची के दफ्तर में आदेश प्राप्त हुआ।

न्य कोई आवश्यक कागजात, मामले के अनुसार

ट:- सभी कडिकाओं का भरा हुआ आवश्यक है

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

अधीक्षक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग,

पत्रांक

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना।

कार्यालय आदेश

दिनांक -

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजानांतर्गत "एन0एच0-30 से गगनदपुर पथ" पैकेज सं0-BR-26R-047 जिसका एकरारनामा संख्या-152/SBD/2009-10 है। सवेदक, श्री सुशील कुमार चौबे, एफ-157, पी0सी0 कॉलनी, कंकड़वाग, पटना द्वारा कार्य दिनांक-27.01.2017 को पूर्ण कर दिया गया है। सवेदक द्वारा 1st Year Maintenance का कार्य दिनांक-15.06.2018 में पूर्ण कर लिया गया था। उसके उपरान्त सवेदक द्वारा इस पथ में कोई भी कार्य नहीं करवाया गया है। इस कार्यालय के पत्रांक-1675 दिनांक-26.10.2019 एवं पत्रांक-73 दिनांक-13.01.2020 द्वारा सवेदक को पथ में मरम्मत कार्य करवाते हुए ATR का निराकरण करवाने हेतु लिखा गया था परन्तु सवेदक द्वारा कार्य में कोई रुचि नहीं लेते हुए किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करवाया गया है। पथ का कार्य बाधित रखने के कारण एस0बी0डी0 की कडिका 53.1 के तहत कार्रवाई करते हुए उनके द्वारा किये गये उपरोक्त एकरारनामा संख्या-152/SBD/ 2009-10 जिसकी राशि ₹0 5154200.00 है को एस0बी0डी0 की कडिका 52.2(a), (c) एवं 52.3 के अंतर्गत कार्यवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से विखंडित (Terminate) किया जाता है।

एकरारनामा के कडिका 53.1 के तहत कार्रवाई करते हुए सवेदक के द्वारा इस कार्य के विरुद्ध जमा अग्रधन एवं जमानत की राशि जब्त करते हुये सरकारी खजाने में जीप जमा करने का निर्देश रोकड़पाल को दिया जाता है।

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना।

ज्ञापांक 1899, पटना

दिनांक 30/12/2020

प्रतिलिपि :-

श्री सुशील कुमार चौबे, एफ-157, पी0सी0 कॉलनी, कंकड़वाग, पटना को सूचनाई प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना।

ज्ञापांक 1899, पटना

दिनांक 30/12/2020

प्रतिलिपि :-

रोकड़पाल, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना को सूचनाई एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना।

ज्ञापांक 1899, पटना

दिनांक 30/12/2020

प्रतिलिपि :-

नोडल पी.एम.जी.एस.वाई, ब्राड, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पटना को सूचनाई एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संप्रेषित।

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना।

ज्ञापांक 1899, पटना

दिनांक 30/12/2020

प्रतिलिपि :-

सरकार के सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनाई एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संप्रेषित।

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना।